



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032023-244708
CG-DL-E-27032023-244708

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199]
No. 199]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 27, 2023/चैत्र 6, 1945
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 27, 2023/CHAITRA 6, 1945

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2023

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) (संशोधन) विनियम, 2023

फा. सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/1.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 के अधिनियम संख्या 23) की धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (च) और धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 52 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए नामतः निम्नलिखित विनियम बनाता है,

- इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जाएगा।
- ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 में :-
विनियम 15 के उप-विनियम (1) के परंतुक में, "पैंसठ वर्ष" शब्दों को "सत्तर वर्ष" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

डॉ. दीपक महान्ती, अध्यक्ष
[विज्ञापन-III/4/असा./725/2022-23]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2023

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (REDRESSAL OF SUBSCRIBER GRIEVANCE) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

F. No. PFRDA/12/RGL/139/1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with clause (d) of sub-section (2) thereof and clause (f) of sub-section (2) of Section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No.23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015 namely, -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) (Amendment) Regulations, 2023.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015: -

In proviso to sub-regulation (1) of Regulation 15, the words “*sixty-five years*” shall be substituted with “*seventy years.*”

Dr. DEEPAK MOHANTY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./725/2022-23]